ida इंदौर विकास प्राधिकारी, इंदौर

पुनरीक्षित बजट अनुमान वर्ष 2016–17

तथा

बजट अनुमान वर्ष 2017–18

प्रस्तावना :–

प्राधिकारी बोर्ड द्वारा इंदौर विकास प्राधिकरण के वार्षिक बजट वर्ष 2017–18 में प्राधिकारी के ध्येय वाक्य ''जहाँ निरंतर निर्माण ही लक्ष्य है'' को सार्थक करते हुए शहर के एक ओर जहाँ नागरिकों को सौगात देने का सिलसिला जारी रखा गया है, वहीं नए वित्तीय वर्ष 2017–18 में मध्यप्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री **मा. श्री शिवराजसिंह चौहान** की मंशानुरूप समाज के हर वर्ग को आवास उपलब्ध कराने के लिये इंदौर विकास योजना 2021 के प्रावधानों को क्रियान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।

बजट के मुख्य आकर्षण एक नजर में

आवासीय योजना

- माननीय मुख्यमंत्री **श्री शिवराजसिंह चौहान** की मंशानुरूप गरीब वर्ग के साथ ही साथ समाज के हर वर्ग के लिए आवास उपलब्ध कराने का संकल्प।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (Housing for all by 2022) के अन्तर्गत ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आय.जी. के उपभोक्ताओं को 6.00 लाख के आवास ऋण पर 6.50 प्रतिशत की दर से अनुदान दिये जाने के प्रावधानों को प्राधिकारी की योजना पर भी वित्तीय संस्थानों एवं नेशनल हाउसिंग बैंक के माध्यम से क्रियान्वित किया जावेगा।

- प्रधानमंत्री आवास योजना एवं म.प्र. शासन द्वारा ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आय.जी. हेतु निम्नानुसार मापदण्ड निर्धारित किये गये है :–

भवन/हितग्राही का प्रकार	वार्षिक आय सीमा	भवन का आकार
ई.डब्ल्यू.एस.	रू. 3 लाख अधिकतम	30 वर्गमीटर तक
एल.आय.जी.	रू. 6 लाख अधिकतम	60 वर्गमीटर तक

- हाउसिंग फॉर आल योजना के अन्तर्गत इंदौर के विभिन्न क्षेत्रो में गरीबों के लिये ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आय.जी. भवनो के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। इस वित्तीय वर्ष में निम्न आय वर्ग एवं मध्यम आय वर्ग के लिये प्राधिकारी की विभिन्न योजनाओं में इस वर्ष लगभग **2200 आवासीय ईकाइयों** के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।

यो.क्रं. 140 में आनंद वन

- शहर के नागरिकों को योजना 140 में भूखंड क्रमांक आर.सी.एम. 10 एवं 11 पर बहुमंजिला भवन ''आनंदवन'' के रूप में एक सौगात देने की पहल प्राधिकरण द्वारा की गई है, यहाँ 204 फ्लेट्स के साथ 6 शो–रूम्स व 14 कार्यालयीन परिसर का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। अधिकांश आवंटितीयों को फ्लेट्स के आधिपत्य सौंपे जा चुके है। इस भवन निर्माण से इस क्षेत्र में समग्र विकास एवं आवासीय गतिविधियों के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

- प्राधिकरण द्वारा आनंदवन में भूखंड क्रमांक आर.सी.एम. 13 व 14 पर 233 फ्लेट्स के साथ 46 शाप्स/शो–रूम्स एवं क्लब हाउस का निर्माण कार्य, इस वित्तीय वर्ष में प्रांरभ किया जावेगा। भवन के निर्माण से मध्य एवं उच्च वर्ग के परिवारों के लिये एक सुनियोजित क्षेत्र में सुविधाजनक घर उपलब्ध हो सकेगा।

यो.क्रं.136 में आवासीय फ्लेट्स का निर्माण

- योजना क्र. 136 में भूखंड क्रं. आर.सी.एम. 01 पर बहुमंजिला भवन में 336 एल. आय.जी. फ्लेट निर्मित हो चुके है। इस वित्तीय वर्ष के दौरान फ्लेट्स के व्ययन करने एवं आधिपत्य सौंपने की कार्यवाही की जावेगी। यह भवन समाज के निम्न वर्गीय परिवारों के लिये अपने घर के सपने को साकार करने का माध्यम बनेंगे।

- योजना क्रं. 136 में भूखंड क्रं. सी.एम.आर. 02 व 03 पर बहुमंजिला भवन का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, जिसमें 646 एल.आय.जी. फ्लेट्स निर्मित होंगे। ये एल.आय.जी. फ्लेट्स, निम्न आय वर्गीय परिवारो के लिये उपयोगी साबित होंगे।

- योजना क्रं. 136 में भूखंड क्र. सी.एम.आर. 05 पर बहुमंजिला भवन (जी + 9 फ्लोर्स) में 02 एवं 03 बी.एच.के. सुविधायुक्त 216 फ्लेट्स के निर्माण कार्य प्रगति पर है, ये फ्लेट्स, समाज के मध्यम वर्गीय परिवारों के लिये उपयोगी साबित होंगे।

आपसी सहमति से भू–अर्जन

- भू–अर्जन अधिनियम 2013 के प्रभावशील होने के पश्चात प्राधिकारी की विभिन्न प्रचलित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये भूमि के अर्जन की कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव पड रहा है। योजना में समाविष्ट भूमि के भूधारक नगद मुआवजे के एवज में विकसित भूखंड प्राप्त कर अपनी भूमि योजना के विकास के लिये उपलब्ध कराने में रूचि नहीं ले रहे है।

- मा. श्री व्ही.एस. कोकजे की अध्यक्षता में गठित समिति के प्रतिवेदन के आधार पर प्राधिकारी की विभिन्न योजनाओं में विक्रय योग्य क्षेत्र में से भूधारकों को दिये जाने वाले क्षेत्र में अभिवृद्धि भी की गई, इसके उपरांत कुछ भूधारकों द्वारा सुपर कॉरीडोर स्थित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये अपनी भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से प्राधिकारी को सौंपी है, किन्तु प्राधिकारी की अन्य योजना क्रमांक 171, 172, 174, 175 में निरंतर प्रयास किये जाने के बाद भी भूधारक नवीन भू–अर्जन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नगद मुआवजे की ही मांग कर रहे हैं। सेक्टरवाईज डेवलपमेंट के लिये भी भूमि उपलब्ध नहीं करायी जा रही है।

- कलेक्टर कार्यालय से प्राधिकारी द्वारा पूर्व में प्रेषित किये गये योजना क्रमांक 171, 172, 174 एवं 175 के भू–अर्जन प्रस्ताव को वापस कर दिया गया है।

- प्राधिकारी बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसरण में अब उन योजनाओं के लिये आपसी करार के आधार पर भूमि प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं। यद्यपि इस दिशा में कोई अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है। योजना क्रमांक 165, 171, 172, 174, 175 का क्रियान्वयन किस प्रकार किया जावे इसके संबंध में सुझाव दिये जाने हेतु समिति का गठन किया गया है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सकेगी। निवेश अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आपसी करार के आधार पर भूमि योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये प्राप्त न होने से योजनाओं के क्रियान्वयन में अवरोध बना हुआ है।

रेफरेंस प्रकरणों में पारित निर्णयों की देयता के संबंध में

- भू–अर्जन अधिनियम 1894 के तहत पारित किये गये अवार्ड के विरूद्ध भूधारकों द्वारा अधिनियम की धारा 18 के तहत रेफरेंस प्रस्तुत किये जाते है। रेफरेंस न्यायालय द्वारा सामान्यतः पारित अवार्ड में वृद्धि की जाती है। भूधारकों द्वारा वृद्धित मुआवजा राशि के बाद भी उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जाती है। प्राधिकारी द्वारा भी प्रथम अपील उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है।

- प्राधिकारी की योजना क्रमांक 59, 103, 114, 136, 139 के कई प्रकरणों में सिविल न्यायालय व उच्च न्यायालय द्वारा भू–अर्जन प्रकरणों में निर्धारित की गई मुआवजा राशि की तुलना में अत्यधिक वृद्धि की गई है। उक्त योजनाओं में से कई योजनाएं ऐसी हैं, जिनमें प्राधिकारी द्वारा अर्जित भूमि का व्ययन भी किया जा चुका है। उक्त योजनाओं में न्यायालय द्वारा मुआवजा राशि में की गई वृद्धि का सीधा भार प्राधिकारी पर आ गया है।

- कुछ मामलों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा वैधानिक प्रावधानों के अतिरिक्त कब्जा दिनांक से 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से अतिरिक्त मुआवजा दिये जाने के आदेश भी हुए हैं, जिसके विरूद्ध प्राधिकारी द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिकाएं भी प्रस्तुत की गई है, जिनमें अधिकांश में स्थगन भी प्राप्त हुआ है। याचिकाएं वर्तमान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

- योजना क्रमांक 139 में रेफरेंस न्यायालय व मा0उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई मुआवजा राशि के आधार पर प्राधिकारी पर लगभग रूपये 178 करोड की देयता आने की संभावना है, जिसमें से लगभग 38 करोड की राशि सिविल न्यायालय में जमा कराई जा चुकी है। वृद्धित मुआवजा संबंधी आदेश को मा. सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है।

- योजना क्रमांक 103 व 59 में भी आगामी वित्तीय वर्ष में वृद्धित मुआवजा राशि जमा कराने का दायित्व प्राधिकारी पर आने की संभावना है। योजना क्रमांक 136 में भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रूपये 1.39 करोड प्रति हेक्टर की दर से मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है। इस अनुसार सिविल न्यायालय में वर्तमान में प्रचलित मामलों में ही रूपये 150 करोड से अधिक की देयता आगामी वित्तीय वर्ष में आ सकती है।

- उपरोक्त रेफरेंस प्रकरणों में लगभग 300 से 400 करोड रूपये की देयता होने की संभावना के दृष्टिगत् प्राधिकारी के पास वर्तमान में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों को देखते हुए वृद्धित मुआवजा राशि के भुगतान के लिये शासन से अनुदान उपलब्ध कराने की मांग करने के साथ राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण भी लेना पड सकता है। इस वित्तीय वर्ष में वृद्धित मुआवजा राशि भुगतान हेतु राशि रू. 205 करोड का प्रावधान रखा गया है।

अद्योसंरचना विकास

मास्टर प्लान के मार्ग

- इंदौर मास्टर प्लॉन में प्रस्तावित मुख्य मार्ग आर.ई.–2, आर.डब्ल्यू.–1 (पश्चिमी रिंगरोड), एम.आर.–3, एम.आर.–4, एम.आर.–5, एम.आर–9, एम.आर.–11, एम.आर.–12 आदि का सीमांकन एवं चिन्हांकन का कार्य गतवर्षो में प्रारंभ कर पूर्ण किया गया, अब सडक की इस भूमि पर अवैध निर्माण न हो इस मकसद से प्राधिकरण द्वारा बोर्ड लगाये जा रहे हैं, जिसमें नागरिकों को यह जानकारी दी जावेगी कि उक्त भूमि मुख्य मार्ग के लिये आरक्षित है। मास्टर प्लॉन की इन सडको के निर्माण का कार्य, प्राधिकरण द्वारा विकास प्रभार लगाकर किया जाना प्रस्तावित है। हालही में राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त एफ. ए.आर. लेकर मास्टर प्लॉन की सडको की जमीन प्राप्त करने का जो प्रावधान किया जा रहा है, उसका लाभ इन सडको को आकार देने में लिया जायेगा।

एम्यूजमेंट पार्क

- मेघदूत उपवन एवं संलग्न एम्यूजमेंट पार्क की भूमि (क्षेत्रफल लगभग 18 हैक्टर) पर इंदौर नगर पालिक निगम की सहमति अनुसार पी.पी.पी. मॉडल पर एम्यूजमेंट पार्क का विकास किया जावेगा। नगर निगम के साथ मेघदूत उपवन की भूमि इस प्रोजेक्ट के लिये दिये जाने पर सैद्धांतिक सहमति बन गई हैं। इस प्रोजेक्ट को क्रियान्वित करने का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है तथा प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन की कार्यवाही शुरू की जा रही है।

बस स्टैण्ड

- इंदौर विकास योजना में यो.क्रं.54 में प्रस्तावित बस टर्मिनस भूमि के 65 प्रतिशत भाग पर बस स्टेण्ड एवं 35 प्रतिशत भाग पर होटल, काम्पलेक्स/मॉल इत्यादि निर्मित करने का निर्णय लिया गया है। इस वित्तीय वर्ष में इस क्षेत्र की मास्टर प्लानिंग एवं ड्राईंग डिजाईन तैयार करने हेतु वास्तुविद् की नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण कर निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावेगा।
- इंदिरा काम्पलेक्स स्थित लगभग 01 लाख वर्गफीट भूमि पर सुव्यवस्थित एवं सुनियोजित बस स्टेण्ड एवं कर्मशियल काम्पलेक्स के ड्राईंग डिजाईन तैयार करने हेतु वास्तुविद् नियुक्त कर निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावेगा। इस हेतु नगर पालिक निगम, इंदौर द्वारा किराये पर दिये गये स्थान के संबंध में सहमति प्राप्त होनी है।

सुपर कॉरिडोर का विकास

- प्राधिकरण द्वारा सुपर कॉरिडोर योजना अन्तर्गत 08 किलोमीटर लंबाई का 08 लेन मार्ग बनाकर शहर को एयरपोर्ट की एक महत्वपूर्ण कनेक्टीविटी दी है। सुपर कॉरिडोर योजना अन्तर्गत टी.सी.एस. एवं इन्फोसिस के लिये भूमि प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई थी, उसमें दोनो संस्थानों द्वारा भवन निर्माण लगभग पूर्ण कर लिया गया है। इस योजना में प्राधिकारी द्वारा आपसी करार से भूमि ली गई है, जिसमें कुछ गतिरोध भी उत्पन्न हुए है, उन गतिरोध को समाप्त करते हुए इस वित्तीय वर्ष में सुपर कॉरिडोर योजना का विकास कार्य प्रारंभ करवाया जावेगा, जिसके लिये बजट में रू. 35 करोड का प्रावधान रखा गया है। सुपर कॉरिडोर के विकास को गति देने के लिये प्राधिकरण द्वारा इस कॉरिडोर से लगी निजी कालोनियों और टाउनशिप से विकास शुल्क लेने का फैसला लिया गया है, इस फैसले के कारण एक तरफ जहॉ सुपर कॉरिडोर के विकास को गति मिलेगी, वहीं प्राधिकरण को इस कार्य पर होने वाले खर्च में भी आर्थिक मदद प्राप्त हो सकेगी।

नागरिकों को सौगात

रेल्वे ओव्हर ब्रिज

- सुपर कॉरिडोर पर निर्मित 8 लेन रेल्वे ओव्हर ब्रिज एवं केसरबाग रेल्वे ओव्हर ब्रिज का मुख्य निर्माण कार्य पूर्ण किया जाकर आमजन के लिये खोल दिया गया है। इसमें सुपर कॉरिडोर के रेल्वे ओव्हरब्रिज ने जहॉ इंदौर से उज्जैन के सफर को सुगम बना दिया है, तो वही केसर बाग ओव्हरब्रिज यातायात की समस्या के समाधान के लिये मिल का पत्थर साबित हो रहा है, ये दोनो ही ओव्हर ब्रिज जनता के लिये बहुत उपयोगी साबित हो रहे है।

नवीन फ्लायओव्हर ब्रिज एवं सब–वे का निर्माण

- इस वित्त वर्ष में प्राधिकरण द्वारा पिपल्याहाना चौराहे पर नागरिकों की सुविधा के लिये ओव्हर ब्रिज के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है, इस प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के लिये बजट में समुचित राशि का प्रावधान किया गया है।

- इसके साथ ही शिवाजी वाटिका चौराहा पर सब–वे के निर्माण का प्रस्ताव प्राधिकरण द्वारा मंजूर किया गया है और इस वित्त वर्ष के दौरान इस कार्य को भी करने के लिये प्रावधान किये गये है।

- लोकसभा अध्यक्ष **मा. श्रीमती सुमित्रा महाजन** तथा केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री, **मा. नितिन गडकरी** की मंशा अनुरूप विजय नगर, ए.बी.रोड चौराहा, महू नाका चौराहा, माधवराव सिंधिया प्रतिमा (रिंगरोड) चौराहा पर फ्लायओव्हर, एल. आय.जी. चौराहे से शिवाजी प्रतिमा चौराहे तक एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण का परीक्षण कराया जा रहा है, प्राधिकरण जनसुविधा के लिये इस कॉरिडोर को आकर देने की मंशा रखता है।

- शास्त्री ब्रिज एवं कृष्णपुरा ब्रिज के चौडीकरण हेतु फिजिएबिल्टी सर्वे के कार्य के लिये कंसल्टेंट नियुक्त किया जा चुका है। उक्त सर्वे की रिपोर्ट आने के पश्चात् प्राधिकारी द्वारा इन स्थानो पर विकास कार्य के लिये पृथक से योजना तैयार कर क्रियान्वित की जायेगी।

- शिवाजी चौराहे पर 05 मार्ग विभिन्न दिशा से आते है एवं यातायात अक्सर बाधित होता रहता है। अतएव इस चौराहे की यातायात सुगमता के लिये फ्लायओव्हर निर्माण का कार्य प्राथमिकता से प्रारंभ किये जाने का प्रयास किया जावेगा। इस हेतु भी विशेषज्ञो से राय मांगी गई है।

एम.आर.–4

- मास्टर प्लॉन में प्रावधानित एम.आर.–4 शहर के लिये महत्वपूर्ण होकर प्राधिकारी द्वारा सिंहस्थ पर्व प्रारंभ होने के पूर्व स्वदेशी मिल से बाणगंगा रेल्वे क्रासिंग तक लगभग 03 किलोमीटर रोड का निर्माण कार्य पिछले वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर

लिया गया था। इस मार्ग के शेष कार्य हेतु बजट में राशि रू. 10.20 करोड का प्रावधान रखा गया है, इस हेतु राशि राज्य शासन द्वारा आवंटित की जावेगी। इस सडक के निर्माण से सरवटे बस स्टेण्ड, मुख्य रेल्वे स्टेशन, नवीन रेल्वे स्टेशन (पार्क रोड) तथा लक्ष्मीबाई नगर रेल्वे स्टेशन की आपस में कनेक्टीविटी निर्मित होने के साथ–साथ उज्जैन रोड से भी सीधी लिंक हो गई है, इस मार्ग के निर्माण से इस क्षेत्र का यातायाता सुगम हो गया है।

नवीन आर.टी.ओ. भवन

- शहर के नागरिकों को अत्याधुनिक, सर्वसुविधायुक्त नवीन आर.टी.ओ. कार्यालय जनता के उपयोग के लिये शुरू हो चुका है। प्राधिकारी द्वारा डिपॉजिट वर्क के अन्तर्गत इस कार्य को किया गया है, इस कार्य के पूर्ण हो जाने से शहर के नागरिकों को एक बड़ी सौगात मिली है। आर.टी.ओ. भवन के तृतीय चरण के अन्तर्गत परिवहन विभाग द्वारा इस वित्तीय वर्ष में राशि उपलब्ध कराया जाना संभावित है। यदि राशि उपलब्ध होती है, तो प्राधिकारी द्वारा आर.टी.ओ. भवन के तृतीय एवं अंतिम चरण का निर्माण/विकास किया जावेगा।

नवीन आय.टी. भवन

- परदेशीपूरा में स्थित इलेक्ट्रानिक काम्पलेक्स के परिसर में नए आई.टी. भवन का कार्य अब अंतिम चरण की ओर बढ रहा है, प्राधिकरण द्वारा म. प्र. राज्य इलेक्ट्रानिक डेव्लपमेंट कार्पोरेशन के आग्रह पर डिपॉजिट वर्क के रूप में इस कार्य को किया गया है। इस वर्ष में शहर के नागरिकों को इस आय.टी. भवन की सौगात भी मिल जायेगी।

सम्पदा मेले का आयोजन

- नागरिकों को सुविधा देने की दृष्टि से प्राधिकरण द्वारा गतवर्ष प्रापर्टी मेले का आयोजन किया गया था, अब इसी कड़ी में इस वर्ष सम्पदा मेले के आयोजन की मंशा हैं, इस मेले में नागरिको को रिक्त संपत्ति की जानकारी के साथ–साथ लीजडीड, किश्त जमा करने, नामांतरण इत्यादि मामलो का निराकरण किया जावेगा।

डिपॉजिट वर्क के अन्तर्गत किये जा रहे विशेष कार्य

बिजासन माता मंदिर

- श्रद्धा के केन्द्र बिजासन माता मंदिर परिसर में प्राधिकारी द्वारा राज्य शासन के धर्मस्व विभाग एवं जिलाधीश इंदौर की पहल पर सत्संग हाल (लागत रू. 02 करोड़) का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इस निर्माण हेतु शासन द्वारा रू. 40 लाख की राशि उपलब्ध कराई जावेगी तथा शेष राशि प्राधिकारी कोष से गैर योजना मद के अन्तर्गत लगाई जावेगी।

बांके बिहारी मंदिर

- संभागायुक्त, इंदौर की पहल पर शहर के हृदय स्थल राजवाडा के समीप स्थित बांके बिहारी मंदिर के जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यकरण का कार्य डिपॉजिट मद में किया जावेगा। इस हेतु वास्तुविद् नियुक्ति की कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी है।

दुर्गा माता मंदिर

- प्राधिकारी द्वारा समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान राजबाडा के समीप सुभाष चौक में स्थिति ऐतिहासिक होल्कर कालीन मॉ दुर्गा मंदिर के जीर्णोद्धार व सौन्दर्यीकरण के कार्य को पूर्ण कर लिया गया है, इस मंदिर के लोकार्पण के समारोह में पधारे विशिष्ठ अतिथिगण भी प्राधिकरण के कार्य की दाद् दिये बगैर नहीं रूक सकें।

डिजिटल आय.डी.ए.

- माननीय प्रधानमंत्री **श्री नरेन्द्र मोदी** द्वारा देश को डिजिटल इंडिया के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है, इसी दिशा में म.प्र. के माननीय मुख्यमंत्री **श्री शिवराजसिंह चौहान** के द्वारा मंत्रालय से लेकर नगरीय निकाय तक सभी कार्यो को डिजिटल करने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है, इसी कडी में इंदौर विकास प्राधिकरण अब डिजिटल आय.डी.ए. के रूप में विकसित होगा। प्राधिकारी द्वारा दस्तावेजो के डिजिटलाईजेशन करने के लिये एजेन्सी नियुक्त करने की कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी है। इस कार्य के लिये प्राधिकारी द्वारा बजट में समुचित राशि का प्रावधान किया गया है।

इंदौर बाजार का निर्माण

- दिल्ली में स्थित पालिका बाजार की तर्ज पर इंदौर में विजय नगर चौराहे पर प्राधिकरण को प्राप्त हुये व्यवसायिक उपयोग के प्लॉट पर सर्वसुविधायुक्त, वातानुकुलित इंदौर बाजार के रूप में एक व्यवसायिक बहुमंजिला इमारत के निर्माण का प्रावधान प्राधिकरण द्वारा गतवर्ष अपने बजट में किया गया था। इसके बाद से इस योजना को क्रियान्वित करने की दिशा में मूलभूत कार्य किये गये है, अब जल्द ही इस योजना के लिये कंसल्टेंट की नियुक्ति की जावेगी।

सांस्कृतिक उन्नयन के कार्य

राजेन्द्र नगर में सांस्कृतिक केन्द्र का विकास

- योजना क्रमांक 97 पार्ट–4 में प्राधिकरण द्वारा निर्मित ऑडिटोरियम संस्कृति विभाग से वापस लिया गया है तथा ऑडिटोरियम का आंतरिक साज–सज्जा का कार्य प्राधिकारी द्वारा किया जावेगा। इस कार्य के लिये बजट में राशि रू. 5.00 करोड का प्रावधान रखा गया है।

बहुउद्देशीय सामुदायिक सांस्कृतिक केन्द्र का निर्माण

- प्राधिकरण द्वारा यो.क्रं. 140 में बहुउद्देशीय सामुदायिक सांस्कृतिक केन्द्र के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है, इस केन्द्र के निर्माण की कार्ययोजना को तैयार करने के पूर्व कला एवं सांस्कृतिक के क्षेत्र में सक्रिय प्रमुखजनो को इस कार्य में सहभागी बनाया जा रहा है। प्राधिकरण द्वारा इस केन्द्र के लिये प्रांरभिक रूप से योजना तैयार कर ली गई है, जिसे योजना के कला एवं संस्कृति क्षेत्र के जानकारो के सुझावों को समाहित करते हुए अंतिम रूप दिया जायेगा। इस कार्य को भी इस वित्तीय वर्ष में प्रारंभ करने का लक्ष्य रखा गया है।

राजबाड़ा में कलादीर्घा

- प्रदेश के मुख्यमंत्री **मा. शिवराजसिंह चौहान** द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप एतिहासिक स्थल राजवाडा पर कलादीर्घा बनाने की योजना तैयार की जा रही है। कलाकारो को प्रोत्साहन देने के लिये यह दीर्घा मुख्य भूमिका निभाएगी।

खेल गतिविधियों को प्रोत्साहन

स्वीमिंग पुल

- योजना क्रमांक 94 (पूर्वी रिंगरोड) सेक्टर–एफ में पिपल्याहाना चौराहे के पास अतंर्राष्ट्रीय स्तर का स्वीमिंग पुल काम्पलेक्स का निर्माण (लागत रू. 22 करोड़) किया जावेगा। स्वीमिंग पुल परिसर में फूड झोन, जिम इत्यादि की सुविधाएं भी उपलब्ध रहेगी।

इन्डोर स्टेडियम

- योजना क्रमांक 94 (पूर्वी रिंगरोड) सेक्टर–एफ में पिपल्याहाना चौराहे के पास स्वीमिंग पुल निर्माण की भूमि को छोडकर शेष भूमि लगभग 01 लाख वर्गफीट क्षेत्रफल पर इन्डोर स्टेडियम का निर्माण पी.पी.पी. मॉडल पर किया जावेगा। इसके साथ ही इस स्थान पर आधुनिक उपकरणों से सज्जित जीम का निर्माण भी किया जायेगा।

जिम का निर्माण

- प्राधिकरण द्वारा चिमनबाग क्षेत्र में स्थित हैप्पी वाण्डर्स के मैदान पर इन्डोर स्टेडियम का निर्माण किया जा चुका है। अब इसी स्थान पर जिम के निर्माण का कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

फिनटेक सिटी

- सुपर कॉरिडोर पर योजना क्रमांक 166 में पी.पी.पी. माडल पर फिनटेक सिटी लगभग 50 एकड़ भूमि पर विकसीत करने का निर्णय प्राधिकारी द्वारा लिया गया है, इसका विकास होने से शहर में राष्ट्रीय/अन्तराष्ट्रीय स्तर की वित्तीय संस्थाएं/बैंकस/कार्पोरेट आफिस/स्टॉक एक्सचेंज एवं फायनेंस संबंधी शिक्षण संस्थाओं का शहर में पर्दापण होगा तथा शहर सेन्ट्रल इंडिया की आर्थिक गतिविधियों का मुख्य केन्द्र बनकर उभरेगा।

सुपर कॉरिडोर पर स्मार्ट हाईराईज बिल्डींग

- सुपर कॉरिडोर योजनान्तर्गत स्मार्ट रेसीडेन्शीयल हाईराईज बिल्डींग का निर्माण किये जाने का निर्णय प्राधिकारी द्वारा लिया गया है। उक्त भवन के निर्माण होने से सुपर कॉरिडोर पर आने वाली राष्ट्रीय स्तर की आय.टी. कम्पनी जैसे टी.सी. एस., इन्फोसिस एवं ख्याति प्राप्त शैक्षणिक संस्थाएं सिम्बोसिस एवं नरसी मुन्जी के एम्पालायॅज आदि के लिये आवास उपलब्ध हो सकेंगे तथा आवासीय गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

हरियाली–पर्यावरण

स्वच्छ पर्यावरण

- शहर में हरित क्षेत्र के विकास पर प्राधिकरण द्वारा 7.10 करोड़ रूपये की राशि खर्च की जाएगी, ताकि शहरवासियों को स्वच्छ पर्यावरण मिल सके। प्राधिकारी अपनी योजनाओं के क्षेत्र को हरित क्षेत्र के रूप में विकसीत करने हेतु कृत संकल्पित है।

दिव्यांग गार्डन का विकास

- प्राधिकरण द्वारा शहर के मध्य क्षेत्र में स्थित उपयुक्त बगीचे में दिव्यांगो का गार्डन विकसित किया जायेगा, यह अपने तरह का पहला और अनूठा प्रयास होगा, इसके लिये प्राधिकरण द्वारा इंदौर नगर निगम से चर्चा कर मध्य क्षेत्र के उपयुक्त गार्डन को गोद लिया जायेगा।

शहीद स्मारक पार्क

- योजना क्रमांक 94 (पूर्वी रिंगरोड) सेक्टर–सी अन्तर्गत सिटी पार्क हेतु आरक्षित भूमि पर शहीद स्मारक पार्क का निर्माण कार्य प्राधिकारी द्वारा गैर योजना मद के अन्तर्गत शुरू किया गया है, इस कार्य को इस वर्ष में पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, यह पार्क इंदौर की पहली ऐसी धरोहर होगा, जो कि हमें अपने शहिदों के संघर्ष और उनकी कुर्बानी की याद दिलायेगा।

विकास प्रभार से आय

- म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकारी की योजनाओं की पार्श्वस्थ एवं उससे प्रभावित भूमियों पर विकास प्रभार लिये जाने प्रावधान है। इस प्रावधान के अन्तर्गत प्राधिकारी द्वारा यो.क्रं. 140 से मुक्त की गई भूमियों पर विकास प्रभार अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही एम.आर.–10 (योजना क्रमांक 134, 159 व 171) की पार्श्वस्थ एवं एम.आर.–10 के निर्माण से प्रभावित होने वाली भूमि पर विकास प्रभार अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है। चूंकि सुपर कॉरिडोर योजना क्षेत्र में कई निजी कालोनियाँ विकसीत हो रही है तथा इन कालोनियों में भूखंड एवं फ्लेट्स की खरीद–फरोख्त जारी होकर खरीददारों को विकास प्रभार की देनदारियों की जानकारी भी नहीं है, अतः प्राधिकारी की सुपर कॉरिडोर योजना के पार्श्वस्थ निजी कॉलोनिया पर भी अन्तरिम विकास प्रभार अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय के तहत इस वित्तीय वर्ष में विकास प्रभार वसूल करने की कार्यवाही की जाएगी। इस वित्तीय वर्ष में विकास प्रभार की वसूली से लगभग रू. 200 करोड़ की आय का अनुमान किया गया है।

बजट संक्षेपिका

पुनरीक्षित बजट अनुमान वर्ष 2016–17 तथा बजट अनुमान वर्ष 2017–18 निम्नानुसार है :–

` करोड़ में

विवरण	बजट अनुमान 2016–2017	पुनरीक्षित बजट 2016–2017	बजट अनुमान 2017–2018
कुल आय प्रवाह (In Flow)	346.75	243.68	505.00
कुल व्यय प्रवाह (Out Flow)	343.75	208.27	500.00
शुद्ध नगद प्रवाह (Net Cash Flow)	3.00	35.41	5.00
पूर्व अवशेष (Op. Balance)	125.23	134.03	169.44
अंतिम अवशेष (Cl. Balance)	128.23	169.44	174.44
कुल परियोजना व्यय	298.49	171.42	452.71
कुल प्रशासनिक (स्थापना/अन्य आकस्मिक) व्यय	43.11	35.13	45.23
परियोजना व्यय विरूद्ध प्रशासनिक व्यय प्रतिशत	14.44 %	20.49 %	9.99 %

- पुनरीक्षित बजट 2016–17 में व्यय पर आय का आधिक्य रू. 35.41 करोड़ हैं एवं पूर्व के अवशेष राशि रू. 134.03 करोड़ को सम्मिलित करते हुये मार्च–17 में रू. 169.44 करोड़ का शेष रहने का अनुमान हैं।

- वर्ष 2017–18 के बजट अनुमान अनुसार व्यय पर आय का आधिक्य रू.5.00 करोड़ अनुमानित हैं। पूर्व अवशेष राशि रू. 169.44 करोड़ सम्मिलित करते हुये मार्च–2018 मे रू. 174.44 करोड़ शेष का अनुमान हैं, जिसमें एकमुश्त जमा लीजरेन्ट एवं कर्मचारी परिवार कल्याण कोष एवं अन्य राशि सम्मिलित हैं।

- प्राधिकारी द्वारा आगामी वित्त वर्ष में आयकर पेटे रूपये 10.00 करोड़ तथा ऑडिट फीस पेटे 2.00 करोड़ भुगतान करना प्रावधानित हैं, इस राशि को कम करने पर प्राधिकारी का स्थापना व्यय 7.34 प्रतिशत होगा।

- प्राधिकारी बजट 2016–17 में लगभग रू. 346.75 करोड़ की आय प्रावधानित थी, जिसके अन्तर्गत पुनरीक्षित मद में लगभग रू. 243.68 करोड़ आय प्रवाह अनुमानित है। प्रावधानित आय में कमी का मुख्य कारण रियलस्टेट मार्केट में मंदी होने तथा बडे आकार के भूखंडों के व्ययन में अपेक्षाकृत आमजन का रूझान कम होने के कारण रहा है।

- बजट वर्ष 2016–17 में निर्माण कार्यो पर प्रस्तावित व्यय 343.75 करोड़ प्रावधानित था, जिसके अन्तर्गत पुनरीक्षित मद में लगभग 208.27 करोड का व्यय अनुमानित है। प्रस्तावित निर्माण कार्यो पर व्यय में कमी के मुख्य कारण भू–अर्जन अधिनियम 2013 के प्रभावशील होने के फलस्वरूप योजनाओं में समाविष्ट भूमि आपसी करार के माध्यम से प्राप्त करने में गतिरोध के कारण प्रस्तावित कार्य या तो प्रारंभ नहीं हो सके या केवल आंशिक कार्य ही किये जा सके है।

- प्राधिकारी की विभिन्न योजनाओं में 1271 आवासीय भूखंड तथा 159 व्यावसायिक, शैक्षणिक एवं स्वास्थ भूखंड तथा निर्मित संपत्तियों में 1124 सहित कुल 2554 संपत्तियां उपलब्ध है।

- बजट विकासोन्मुखी जन–आकांक्षा अनुरूप तैयार किया गया है।

- प्राधिकारी संकल्प क्रमांक 83 दिनांक 30/03/2017 द्वारा बजट पारित किया गया।

(राकेश सिंह)
मुख्य कार्यपालिक अधिकारी

(शंकर लालवानी)
अध्यक्ष